भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4185

दिनांक 19 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोवंश नस्ल

4185. श्री मलैयारासन डी.:

श्रीमती प्रतिमा मण्डल

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू मवेशी नस्लों के संरक्षण और विकास हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के उद्देश्य और प्रमुख घटक तथा लक्ष्य क्या हैं;

(ख) देश में तमिलनाडु सहित राज्य-वार स्थापित गोकुल ग्रामों, बुल मदर फार्मों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) स्वदेशी गोवंश नस्लों की उत्पादकता और उनके स्वास्थ्य में सुधार पर इस मिशन का क्या प्रभाव है;

(घ) इस मिशन के अंतर्गत किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार की भविष्य में स्वदेशी नस्ल संरक्षण को और अधिक सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का विस्तार या संशोधन करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) स्वदेशी बोवाइन नस्ल के संरक्षण, उत्पादकता बढ़ाने और गोकुल ग्रामों की स्थापना में प्रगति सहित आरजीएम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(छ) उच्च उपज वाली चारा किस्मों और साइलेज अवसंरचना को बढ़ावा देने सहित पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कार्यनीतियाँ क्या हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (च) भारत सरकार दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को क्रियान्वित कर रही है, ताकि देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित और पूरित बनाया जा सके, जिससे किसानों हेतु दूध उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है:

(i) उन्नत तकनीकों का उपयोग करके टिकाऊ तरीके से बोवाइन पशुओं की उत्पादकता और दूध उत्पादन में वृद्धि करना
(ii) प्रजनन प्रयोजनों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना।
(iii) प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना
(iv) वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गाय और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति, साथ ही इस योजना के तहत डेयरी में लगे किसानों को दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता, इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिकगुणता वाले सांडों के सीमन से किसानों के

द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ (AI) प्रदान करना है। कार्यक्रम की प्रगति को वास्तविक समय में भारत पशुधन /एनडीएलएम (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन) पर अपलोड किया जाता है, जिससे कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले किसानों पर नज़र रखी जा सकती है। अब तक 9.16 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 14.12 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और कार्यक्रम के अंतर्गत 5.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। उत्पादकता में वृद्धि के साथ भाग लेने वाले किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है ।

(ii) सेक्स-सॉर्टेड सीमन: देश में सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक शुरू की गई है ताकि 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। यह तकनीक गेम-चेंजर है, क्योंकि यह न केवल दूध उत्पादन बढ़ाती है बल्कि आवारा पशुओं की आबादी को कम करने में भी मदद करती है। भारत में पहली बार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधा ने देशी नस्लों के बोवाइन सीमन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। ये सुविधाएँ गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पाँच सरकारी सीमन केंद्रों पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, तीन निजी सीमन केंद्र भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराकों के उत्पादन में लगे हुए हैं। अब तक, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों, जिनमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं, का उपयोग करके 1.25 करोड़ खुराकों का उत्पादन किया जा चुका है।

सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा दिया जाता है । इस घटक के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भधारण पर सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक का प्रोत्साहन किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

(iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 31,000 रुपये और उपकरणों के लिए 50,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब तक 38,736 मैत्री प्रशिक्षित और सुसज्जित किए जा चुके हैं।

(iv) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देश में पहली बार, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण हेतु बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है । विभाग ने इस उद्देश्य से पूरे भारत में 23 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। इन प्रयोगशालाओं से 26,999 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए गए हैं, जिनमें से 15,005 भ्रूण हस्तांतरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2,366 बछड़ोंऔर बछड़ियों का जन्म हुआ है।

आईवीएफ तकनीक का लाभ उठाते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है , जिसमें प्रत्येक सुनिश्चित गर्भधारण पर 5,000 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देशी नस्लों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप अब तक 6,637 भ्रूणों का हस्तांतरण, 1,247 गर्भधारण और 731 बछड़ियों सहित 785 बछड़ों का जन्म हुआ है।

(v) संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है, जिनमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपशुओं की राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्लें और भैंसों की जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी और बन्नी नस्लें शामिल हैं।कार्यक्रम के तहत उत्पादित

देशी नस्लों के रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड देश भर के सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 4243 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन किया जा चुका है और उन्हें सीमन उत्पादन के लिए सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है।

(vi) देशी नस्लों के सीमन सहित सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए सीमन केंद्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। अब तक 47 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ बनाने की संस्वीकृति दी जा चुकी है ।

(vii) देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं, बछड़ा रैलियां, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

(viii) नस्ल गुणन फार्म (BMF) की स्थापना के घटक के अंतर्गत, विभाग ने 132 बीएमएफ संस्वीकृत किए हैं। हालाँकि, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत इस घटक को बंद कर दिया गया है।

(ix) इस योजना के अंतर्गत, देश में 16 "गोकुल ग्राम" स्थापित करने के लिए निधि जारी की गई है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। संशोधित और पुनर्गठित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, इस घटक को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बंद कर दिया गया है।गोकुल ग्रामों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण, राज्य में गोकुल ग्राम की स्थापना नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, आरजीएम के अंतर्गत, किसी भी नए बुल मदर फार्म को संस्वीकृति नहीं दी गई है । हालाँकि, देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु में कुल 4 बीएमएफ संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए तमिलनाडु के होसुर और नमक्कल में कुल 2 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, राज्य को 4 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए निधि जारी की गई है ।

गोकुल मिशन (आरजीएम) के कार्यान्वयन के कारण और पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, देश में बोवाइन पशुओं की समग्र उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,640 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,072 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई है , जो 26.34% की वृद्धि दर्ज करती है - जो दुनिया के किसी भी देश द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक उत्पादकता वृद्धि है।

देशी और नॉन-डिस्क्रिप्ट गोपशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 927 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,292 किलोग्राम हो गई है , जो 39.37% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,880 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 2,161 किलोग्राम हो गई है , जो 14.94% की वृद्धि को दर्शाता है ।

परिणामस्वरूप, भारत का कुल दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है, जो केवल 10 वर्षों में 63.55% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जुलाई 2021 में इसे संशोधित और पुनर्गठित किया गया। इसके सफल कार्यान्वयन और राज्यों की मजबूत मांग को देखते हुए, सरकार ने मार्च 2025 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को संशोधित करते हुए 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है। इससे 15वें वित्त आयोग की अवधि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 3,400 करोड़ रु. हो गया है। इस योजना के अंतर्गत दो नए कार्यकलापों को जोड़ा गया हैं: (i)

उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं (HGM) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बछिया(heifers) पालन केंद्रों की स्थापना (ii) HGM IVF बछियों की खरीद पर किसानों को 3% ब्याज सबवेंशन ।

(छ) भारत सरकार, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजनाओं के तहत आहार और चारा विकास कार्यकलापों से संबंधित सहायता प्रदान करती है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), निजी कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों, धारा 8 कंपनियों और एमएसएमई को पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना मांग-आधारित है और प्रस्तावों पर भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, योग्यता और पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है ।

विभाग वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है, जिसमें आहार और चारा विकास पर एक उप-मिशन भी शामिल है। इस योजना को जुलाई 2021 और फिर मार्च 2024 में पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित घटकों के साथ चारे की उपलब्धता बढ़ाना है:

i. गुणवत्तायुक्त चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता, जिसके अंतर्गत प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए क्रमशः 250 रुपये प्रति किलोग्राम, 150 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

ii. घास(hey)/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (TMR)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए आहार और चारे में उद्यमशीलता कार्यकलाप, जहाँ लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की 50% (50 लाख रुपये तक) सब्सिडी प्रदान की जाती है।

iii. लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की 50% (50 लाख रुपये तक) सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

iv. गैर वन बंजर भूमि/रेंजलैंड/गैर कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन।

v. वन भूमि से चारा उत्पादन।

उपरोक्त के अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन एवं संवर्धन" पर केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को 100 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है , जो मुख्य रूप से चारा-केंद्रित कार्यकलापों पर केंद्रित है।

इसके अलावा, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI), झाँसी (ICAR) ने विभिन्न क्षेत्रों में हरे और सूखे चारे की कमी को दूर करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के साथ चारा संसाधन विकास योजनाएँ विकसित की हैं। ये योजनाएँ राज्य सरकारों और पशुधन संबंधी नीति एवं नियोजन में लगी अन्य एजेंसियों के लिए क्रियान्वयन योग्य रोडमैप का काम करती हैं।

विभाग ने पशु आहार विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यापक जागरूकता पहल भी शुरू की है - जिसमें सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, राज्यों को परामर्शियाँ और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें शामिल हैं।

***

अनुबंध-I

गोकुल ग्राम का विवरण

राज्य का नाम	गोकुल ग्राम का स्थान	अनिवार्य नस्ल
आंध्र प्रदेश	गोपशु प्रजनन फार्म, चडालवाड़ा, प्रकाशम	ओंगोल
तेलंगाना	पीवीएनआर तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	गिर, साहीवाल, थारपरकर, देवनी, ओंगोल
कर्नाटक	अमृतमहल, उपकेंद्र, लिंगादहल्ली, चिक्कमगलुरु,	अमृत महल
गुजरात	धरमपुर, पोरबंदर	गिर
मध्य प्रदेश	पशु प्रजनन फार्म, रतौना, सागर	थारपरकर
महाराष्ट्र	बुल मदर फार्म, ताथवड़े, पुणे	पंढरपुरी
	बुल मदर फार्म, पोहारा, अमरावती	गाओलाओ
पंजाब	बीर दोसांझ नाभा	साहीवाल; गिर
हरियाणा	हिसार	हरियाना; मुर्रा
हिमाचल प्रदेश	थानाखास, ऊना	सहिवाल
उत्तर प्रदेश	दुवासु मथुरा	साहीवाल; हरियाना
	आराजीलाइन्स वाराणसी	गंगातीरी
	सिमरा वीरान,शाहजहांपुर	साहीवाल
अरुणाचल प्रदेश	तेजू, लोहित	गिर, साहीवाल,
छत्तीसगढ	संस्थागत गोकुल ग्राम झालम, बेमेतरा	गिर, साहीवाल, कोसली
बिहार	डुमरांव,बक्सर	हरियाना को वर्गीकृत किया गया